उत्तर प्रदेश शासन

समाज कल्याण अनुभाग-3

संख्या-152/2018/2101/26-3-2018

लखनऊ दिनांकः 29 जून, 2018

आदेश/शुद्धि पत्र

राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, वेबर, भोगांव, मैनपुरी के भवन निर्माण हेतु द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू0-987.40 लाख (रू0 नौ करोड़ सत्तासी लाख चालीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-143/2018/1547/26-3-2018-10(18)/2018, दिनांक-04.06.2018 द्वारा जारी की गयी थी।

2- उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2 में त्रुटिवश चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के स्थान पर वर्ष 2017-18 अंकित हो गया है। उल्लेखनीय है कि शासनादेश की वेबसाइट पर अपलोड की गयी पत्र की प्रति में वित्तीय वर्ष 2018-19 सही अंकित है। अतः उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2 में चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के स्थान पर वर्ष 2018-19 पढ़ा जाय।

शासनादेश के शेष अंश/शर्ते यथावत रहेंगे।

रवि शंकर मिश्र

अनुसचिव।

पृ0सं0 152/2018/2101(1)/26-3-2018-तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1 महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।
2 महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3 मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
4 निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5 वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
6 जिलाधिकारी, मैनपुरी।
7 जिला समाज कल्याण अधिकारी, मैनपुरी ।
8 वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
9 प्रबंध निदेशक, यू0पी0स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्टक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0, उ0प्र0 लखनऊ।
10 निदेशक, एन0आई0सी0।
11 गार्डफाइल

आज्ञा से,

रवि शंकर मिश्र

अनुसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in